B.Ed.
2 YEARS

M.C.A.
2 YEARS

B.Com.
4 YEARS

एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन

www. abcce.co.in

(एनसीटीई एवं एआईसीटीई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सम्बद्ध)

नेऊरा, पटना

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
एवं
कन्या उत्थान योजना
सुविधा उपलब्ध

बिहार सरकार

COURSES

B.Ed.
बैचलर इन एजुकेशन

2 YEARS

Recognized by :
NCTE
Government of India

M.C.A.
मास्टर इन
कम्प्यूटर एप्लीकेशन

2 YEARS

Recognized by :
AICTE
Government of India

B.Com.
(बैचलर ऑफ कॉमर्स)

4 YEARS

Affiliated to :
PATLIPUTRA UNIVERSITY

टैली एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर	जीएसटी मैन्यूअल व ऑनलाइन	टीडीएस मैन्युअल व ऑनलाइन	इनकम टैक्स रिटर्न मैन्युअल व ऑनलाइन

Tally

(उपर्युक्त यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं)

पूरे कैम्पस को हरा-भरा व पर्यावरण युक्त बनाया गया है,
ताकि यहाँ के छात्रों को अलग अनुभूति हो।

Our Facilities

कॉलेज प्रांगण में उच्च स्तरीय पाठन कार्य संपन्न करने के लिए एक स्वस्थ व बेहतर परिवेश आवश्यक है, कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है :

- आधुनिक, नया प्रशस्त इंफ्रास्ट्रक्चर
- Wi-Fi तथा CCTV युक्त कैम्पस
- वातानुकूलित आईटी लैब
- ई - लाईब्रेरी
- समृद्ध तथा सर्वोत्तम लाइब्रेरी
- रेगुलर सेमिनार एवं वर्कशॉप
- एनसीटीई एवं एआईसीटीई द्वारा तय मानक अनुसार पूर्णतः योग्य एवं अनुभवी शिक्षक
- शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु नए उपकरणों एवं कम्प्यूटर से सुसज्जित उत्कृष्ट प्रयोगशालायें
- ऑडियो विजुअल (डीएलपी प्रोजेक्टर सहित)
- प्रत्येक तल पर छात्र-छात्राओं के लिए पृथक शौचालय
- फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था
- स्मार्ट क्लास के लिए नियमित प्रशिक्षण
- CTET & BTET की अतिरिक्त कक्षाएं निःशुल्क
- Placement Cell द्वारा रोजगार हेतु नियमित काउन्सलिंग व ड्राईव
- ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एवं बुक बैंक की सुविधा
- नियमित गेस्ट लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट्स, क्विज कम्पीटिशन, योगा एवं खेलकूद आदि
- नियमित पर्सनाल्टी डेवलपमेंट, परफार्मिंग आर्ट्स, शैक्षणिक भ्रमण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि
- वायुमय अध्ययनकक्ष
- संगीत व योग लैब भी उपलब्ध
- सेमिनार व मल्टीपर्पस हॉल
- कम्युनिकेशन लैब
- खेलकूद मैदान
- कैन्टीन
- विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए रैम्प प्रवेश
- कॉलेज बस की सुविधा उपलब्ध (इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए)

और भी बहुत कुछ---

संस्थान का परिचय व मान्यता

वर्ष 2016 में स्थापित व भारत सरकार के वर्तमान गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा उद्घाटित पटना के नेउरा में एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भारत सरकार के एनसीटीई एवं एआईसीटीई (भारत सरकार) से मान्यता व पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से सम्बंद्धन प्राप्त है. संस्थान में कुल तीन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है – दो वर्षीय बीएड, दो वर्षीय एमसीए एवं तीन वर्षीय बीकॉम (अकाउन्ट्स). अपने उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उक्त संस्थान बिहार के सबसे बेहतर कॉलेजों में शामिल है.

कॉलेज द्वारा छात्रों के लिए निःशुल्क पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप एवं सांस्कृतिक कला प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध कराया जाता है, ताकि छात्रों को यहाँ आकर किसी अन्य संस्थान से अलग माहौल व प्रशिक्षण मिल सके. यहाँ के योग्य शिक्षक छात्रों के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं. अतः कॉलेज द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए सिलेबस के अनुसार विशेष ई-मटेरियल तैयार कराया गया है, ताकि छात्रों को विषय की जानकारी के लिए भटकना न पड़े.

एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन

www. abcce.co.in

(एनसीटीई एवं एआईसीटीई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सम्बद्ध)

(मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने), नेउरा, पटना (बिहार) पिन-801 113

दूरभाष : 0612-2666644

मोबाईल : 9065410720, 9065410722

ई-मेल : abccollegeofeducation@gmail.com

नामांकन सम्बन्धी जानकारी यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं :

आरकेड बिजनेस कॉलेज, आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना-800016 (बिहार)

दूरभाष : 9199662211, 7277118950

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Patna / 9431018492

ABC COLLEGE OF EDUCATION

www.abcce.co.in

B.Ed. B.Com. M.A. Education

PROSPECTUS & APPLICATION FORM

Our Facilities

कॉलेज प्रांगण में उच्च स्तरीय पाठन कार्य संपन्न करने के लिए एक स्वस्थ व बेहतर परिवेश आवश्यक है. कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है :

- आधुनिक, नया प्रशस्त इंफ्रास्ट्रक्चर
- Wi-Fi तथा CCTV युक्त कैम्पस
- एनसीटीई द्वारा तय मानक अनुसार पूर्णत: योग्य एवं अनुभवी शिक्षक
- वातानुकूलित आईटी लैब
- ई-लाईब्रेरी
- शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु नए उपकरणों से सुसज्जित उत्कृष्ट प्रयोगशालायें
- रेगुलर सेमिनार एवं वर्कशॉप
- ऑडियो विजुअल (डीएलपी प्रोजेक्टर सहित)
- प्रत्येक तल पर छात्र-छात्राओं के लिए पृथक शौचालय
- फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था
- नियमित गेस्ट लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट्स, क्विज कम्पीटिशन, योगा एवं खेलकूद आदि।
- स्मार्ट क्लास के लिए नियमित प्रशिक्षण
- CTET & BTET की अतिरिक्त कक्षाएं नि:शुल्क
- Placement Cell द्वारा रोजगार हेतु नियमित काउन्सलिंग
- समृद्ध तथा सर्वोत्तम लाइब्रेरी
- ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एवं बुक बैंक की सुविधा
- नियमित पर्सनाल्टी डेवलपमेंट, परफार्मिंग आर्ट्स, शैक्षणिक भ्रमण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।
- वायुमय अध्ययनकक्ष
- संगीत व योग लैब भी उपलब्ध
- सेमिनार व मल्टीपर्पस हॉल
- कम्युनिकेशन लैब
- खेलकूद मैदान
- कैन्टीन
- विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए रैम्प प्रवेश
- कॉलेज बस की सुविधा उपलब्ध (इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए)

और भी बहुत कुछ.....

ABC College of Education

www.abcce.co.in

Recognised by National Council for Teachers Education (NCTE), Govt. of India and Affiliated to Patliputra University, Patna

B.Ed.

B.Com.

M.A. Education

(मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने)
नेउरा, पटना (बिहार) पिन - 801113
दूरभाष : 9065410720, 9065410722
ई-मेल : abccollegeofeducation@gmail.com

INTRODUCTION

पटना के नेउरा स्थित एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना वर्ष 2016 में हुई और इस संस्थान का उद्देश्य विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करना है, क्योंकि एक सही शिक्षक ही इस राष्ट्र का सही निर्माण कर सकता है-

AFFILIATION

एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भारत सरकार के नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) द्वारा बीएड की कुल 150 (एक सौ पचास) सीटों के लिए मान्यता प्रदान की गयी है. कॉलेज का संबद्धन पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना से है.

ELIGIBILITY

नामांकन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्नातक है. नामांकन का आधार बिहार बी.एड. संयुक्त प्रवेश जांच परीक्षा है. जिसके मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाता है. इस मेरिट लिस्ट में बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण नियमों को भी लागू किया जाता है. विशेष जानकारी के लिए कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें.

ATTENDANCE

एनसीटीई व विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्रों की 75% उपस्थिति कक्षाओं में अनिवार्य है- विशेष जानकारी के लिए कॉलेज प्रशासन से संपर्क करे-

DISCIPLINE

नामांकित छात्र कॉलेज के नियमों (कोड ऑफ कंडक्ट) को मानने के लिए बाध्य हैं, जो इस विवरणिका के अंतिम पृष्ठ पर एवं नामांकन फॉर्म की पिछली तरफ स्पष्ट कर दिया गया है-

LIBRARY

कॉलेज में एक समृद्ध लाइब्रेरी है, जहाँ एनसीटीई के नियमानुसार पुस्तकों का संकलन है- छात्रों के बैठने की भी व्यवस्था है- छात्र लाइब्रेरी के नियमों की जानकारी लाइब्रेरियन महोदय से प्राप्त कर सकते हैं-

TRANSPORT

कॉलेज द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए अतिरिक्त शुल्क पर कॉलेज बस उपलब्ध है. कॉलेज बस में केवल नामांकित छात्र-छात्राओं को प्रवेश की इजाजत होगी. छात्रों को किसी भी परिस्थिति में बस में या रास्ते में अनुशासन भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

FEE PAYMENTS

सभी शुल्क बैंक डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चालान या ऑनलाईन भुगतान द्वारा स्वीकार किये जायेंगे- बैंक डिमांड ड्राफ्ट 'ABC COLLEGE OF EDUCATION' के नाम से पटना पर देय होगा- किसी भी मद में किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान किसी भी परिस्थिति में न तो वापस होगा और न ही उसे किसी अन्य छात्र के नाम स्थानांतरित किया जायेगा- जब तक छात्र का पूरा शुल्क भुगतान नहीं होगा, उनका कोई भी फॉर्म, जैसे रजिस्ट्रेशन या परीक्षा फॉर्म, कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया जायेगा- यदि कोई छात्र नामांकन की तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देता है, तो माननीय उच्च न्यायालय के नियमानुसार छात्र को पूरे दो वर्ष का पूरा शुल्क देना होगा, अन्यथा कॉलेज द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कागजात छात्र को निर्गत नहीं किया जायेगा-

EXAMINATION

सभी नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना होगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि एवं नियम के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरना होगा- प्रत्येक छात्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पूरा ध्यान रखे एवं घोषित तिथियों की जानकारी रखे, अन्यथा किसी भी तथ्य को छुपाकर फॉर्म भरने या जानकारी नहीं रखने पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी केवल छात्र की होगी-

OTHERS

- कॉलेज में नियमति रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सेमिनार आयोजित होते हैं, जिसमें छात्रों को नियमित रूप से भाग लेना चाहिए.
- कॉलेज द्वारा घोषित तिथियों पर छात्रों को प्रैक्टिस टीचिंग, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरनल टेस्ट, सबमिशन आदि करना आवश्यक है.
- ऑनलाईन टीचिंग हेल्प के लिए शिक्षक उपलब्ध हैं तथा कॉलेज द्वारा नियमित रूप से कॉलेज बेवसाईट पर ऑनलाईन मैटेरियल अपलोड किया जाता है.
- किसी भी मामले में एक मात्र कानूनी कार्यक्षेत्र पटना होगा.

COURSES

B.Ed.

(Bachelor in Education)
Duration : 2 Years

B.Com.

(Bachelor in Commerce)
Duration : 3 Years

MA EDUCATION

(Master in Arts)
Duration : 2 Years

DOCUMENTS

B.Ed. :

- Matric Passing (Date of Birth)
- Graduation Passing (Provisional / Degree)
- Graduation Final Marksheet
- Migration Certificate / CLC (Original)
- Cast Certificate (for Reservation)
- Recent colour photograph – 5 Nos.
- Result of Bihar B.Ed. CET
- Fee to be paid

B.Com. :

- Matric Passing (Date of Birth)
- 10+2 / Intermediate Provisional Certificate
- 10+2 / Intermediate Final Marksheet
- Migration Certificate / CLC (Original)
- Cast Certificate (for Reservation)
- Recent colour photograph – 5 Nos.
- Selection letter of University (if any)
- Fee to be paid

नामांकन की आवश्यक नियम व शर्तें (कोड ऑफ कंडक्ट)

1- छात्र-छात्राओं को कॉलेज कैम्पस में मोबाईल फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना है, ऐसा पाए जाने पर मोबाईल तुरन्त जब्त कर लिया जाएगा और उक्त मोबाईल को छोड़ने के एवज में रुपए एक हजार का आर्थिक दंड दिया जाएगा- मोबाइल न छुड़ाने की स्थिति में उक्त मोबाइल को स्थानीय थाने में जमा करा दिया जाएगा-

2- छात्र-छात्राओं को कॉलेज कैम्पस के अन्दर पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाकर आना या जहाँ-तहाँ थूकना सख्त मना है, ऐसा पाए जाने पर छात्र को तत्काल रुपए एक हजार का आर्थिक दंड दिया जाएगा-

3- छात्र-छात्राओं को क्लास में विश्वविद्यालय के नियमानुसार 75% उपस्थिति से कम दर्ज होने पर या किसी प्रकार का शुल्क बकाया रहने पर उनका विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा-

4- कॉलेज को दिए गए किसी भी मद में किसी शुल्क का किसी परिस्थिति में न तो रिफंड होगा और न ही वह शुल्क किसी दूसरे छात्र, पाठ्यक्रम या मद में स्थानांतरित किया जाएगा इसके अतिरिक्त, समय-समय पर कॉलेज द्वारा घोषित सभी नियमों को भी उनको मानना होगा

5- छात्र-छात्रा आपने सभी सामान जैसे साईकिल, बाईक, आभूषण, मोबाइल, पुस्तक या अन्य किसी भी वस्तु की हिफाजत स्वयं करेंगे और किसी भी सामान के खोने या चोरी होने की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं होगी. अपनी साईकिल और बाईक अच्छी तरह लॉक करके पार्क करें.

6- यदि किसी भी छात्र-छात्रा को कॉलेज के अन्दर किसी प्रकार के गैर सामाजिक गतिविधि, जैसे मारपीट, छेड़छाड़, रैगिंग, कैम्पस व क्लास में हो-हल्ला इत्यादि में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें कॉलेज से निकाला जाना, स्थानीय थाने में केस दर्ज कराना, अभिभावकों को खबर करना, छात्र व अभिभावक से न्यायालय में शपथ-पत्र कराकर कॉलेज में जमा करना, विश्वविद्यालय को छात्र के बारे में सूचित करना इत्यादि शामिल है-

7- माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक बार नामांकन हो जाने के बाद बीच सत्र में पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में छात्र को सभी सेमेस्टरों का बकाया पूरे शुल्क का भुगतान कॉलेज को करना होगा, पूरे भुगतान के बाद ही कॉलेज द्वारा किसी भी छात्र को किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा-

8- विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन या परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि एवं आवश्यक योग्यता समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है- यह छात्र की जिम्मेदारी होगी कि वह अन्तिम तिथि का ध्यान रखे और अपनी योग्यता अनुसार सही जानकारी कॉलेज को उपलब्ध कराये- जानकारी नहीं रखने या समय पर अपने आवश्यक कागजात जमा नहीं करने या कोई गलत जानकारी देने पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी केवल संबंधित छात्र की होगी- छात्रों को कॉलेज व विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी नियमों की पूरी जानकारी रखनी होगी और विश्वविद्यालय परीक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों का छात्रों को पालन करना होगा-

9- कोई भी सूचना छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी जाएगी और उसे कॉलेज नोटिस बोर्ड या कॉलेज वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा- किसी सूचना की जानकारी न होने या भेजे गये एसएमएस के नहीं मिलने पर किसी प्रकार का भी बहाना किसी स्तर पर मान्य नहीं होगा-

10- विश्वविद्यालय परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के अन्दर छात्र अपने डोक्युमेन्ट्स कॉलेज से प्राप्त कर लेंगे और उसे अच्छी तरह जांच लेंगे किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत कॉलेज को इसकी सूचना देंगे, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद कॉलेज की कोई जवाबदेही नहीं होगी

11- ट्रांसपोर्ट सुविधा लेने वाले छात्र रास्ते में अनुशासन का पूरा ध्यान रखेंगे और गैर-अनुशासित छात्रों की ट्रांसपोर्ट सुविधा रद्द कर दी जायेगी

12- किसी भी मसले पर न्यायालय का कार्यक्षेत्र केवल पटना होगा

"माता-पिता हमें जीवन देते हैं, परन्तु उस जीवन को जीने की कला एक सही शिक्षक ही सिखा सकता है।"

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद्

एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन

www.abcce.co.in

(एनसीटीई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सम्बद्ध)
मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, नेउरा, पटना (बिहार) पिन - 801113
दूरभाष : 9065410720, 9065410722
ई-मेल : abccollegeofeducation@gmail.com

फॉर्म CAPITAL LETTER में ही भरें

ABC COLLEGE OF EDUCATION

ADMISSION APPLICATION FORM

DATE :

COURSE :

CLASS ROLL NO. :

Passport Size Photograph

NAME :

FATHER'S NAME :

PERMANENT ADDRESS :

CITY : DISTRICT : PIN :

DATE OF BIRTH : CATEGORY : GEN OBC SC ST EWS

STUDENT'S CELL NO. :

GUARDIAN CELL NO. :

WHATSAPP NUMBER : STUDENT GUARDIAN

LOCAL ADDRESS :

CITY : PIN :

E-Mail :

Aadhar No. : Pan No.

PAST ACADEMIC DETAILS

EXAM.	BOARD / UNIVERSITY	Reg. No.	YEAR	FULL MARKS	OBTAINED MARKS	% OF MARKS	DIV.
10th							
10+2							
Graduation							
P.G.							

CET... DETAILS

APPLICATION NO.	EXAM ROLL NO.	RANK IN MERIT LIST	MARKS	CATAGORY

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण सही हैं।

तिथि :

Student's Signature

नामांकन की आवश्यक नियम व शर्तें (कोड ऑफ कंडक्ट)

1- छात्र-छात्राओं को कॉलेज कैम्पस में मोबाईल फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना है, ऐसा पाए जाने पर मोबाईल तुरन्त जब्त कर लिया जाएगा और उक्त मोबाईल को छोड़ने के एवज में रुपए एक हजार का आर्थिक दंड दिया जाएगा- मोबाइल न छुड़ाने की स्थिति में उक्त मोबाइल को स्थानीय थाने में जमा करा दिया जाएगा-

2- छात्र-छात्राओं को कॉलेज कैम्पस के अन्दर पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाकर आना या जहाँ-तहाँ थूकना सख्त मना है, ऐसा पाए जाने पर छात्र को तत्काल रुपए एक हजार का आर्थिक दंड दिया जाएगा-

3- छात्र-छात्राओं को क्लास में विश्वविद्यालय के नियमानुसार 75% उपस्थिति से कम दर्ज होने पर या किसी प्रकार का शुल्क बकाया रहने पर उनका विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा-

4- कॉलेज को दिए गए किसी भी मद में किसी शुल्क का किसी परिस्थिति में न तो रिफंड होगा और न ही वह शुल्क किसी दूसरे छात्र, पाठ्यक्रम या मद में स्थानांतरित किया जाएगा इसके अतिरिक्त, समय-समय पर कॉलेज द्वारा घोषित सभी नियमों को भी उनको मानना होगा

5- छात्र-छात्रा आपने सभी सामान जैसे साईकिल, बाईक, आभूषण, मोबाइल, पुस्तक या अन्य किसी भी वस्तु की हिफाजत स्वयं करेंगे और किसी भी सामान के खोने या चोरी होने की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं होगी. अपनी साईकिल और बाईक अच्छी तरह लॉक करके पार्क करें.

6- यदि किसी भी छात्र-छात्रा को कॉलेज के अन्दर किसी प्रकार के गैर सामाजिक गतिविधि, जैसे मारपीट, छेड़छाड़, रैगिंग, कैम्पस व क्लास में हो-हल्ला इत्यादि में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें कॉलेज से निकाला जाना, स्थानीय थाने में केस दर्ज कराना, अभिभावकों को खबर करना, छात्र व अभिभावक से न्यायालय में शपथ-पत्र कराकर कॉलेज में जमा करना, विश्वविद्यालय को छात्र के बारे में सूचित करना इत्यादि शामिल है-

7- माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक बार नामांकन हो जाने के बाद बीच सत्र में पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में छात्र को सभी सेमेस्टरों का बकाया पूरे शुल्क का भुगतान कॉलेज को करना होगा, पूरे भुगतान के बाद ही कॉलेज द्वारा किसी भी छात्र को किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा-

8- विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन या परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि एवं आवश्यक योग्यता समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है- यह छात्र की जिम्मेदारी होगी कि वह अन्तिम तिथि का ध्यान रखे और अपनी योग्यता अनुसार सही जानकारी कॉलेज को उपलब्ध कराये- जानकारी नहीं रखने या समय पर अपने आवश्यक कागजात जमा नहीं करने या कोई गलत जानकारी देने पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी केवल संबंधित छात्र की होगी- छात्रों को कॉलेज व विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी नियमों की पूरी जानकारी रखनी होगी और विश्वविद्यालय परीक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों का छात्रों को पालन करना होगा-

9- कोई भी सूचना छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी जाएगी और उसे कॉलेज नोटिस बोर्ड या कॉलेज वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा- किसी सूचना की जानकारी न होने या भेजे गये एसएमएस के नहीं मिलने पर किसी प्रकार का भी बहाना किसी स्तर पर मान्य नहीं होगा-

10- विश्वविद्यालय परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के अन्दर छात्र अपने डोक्युमेन्ट्स कॉलेज से प्राप्त कर लेंगे और उसे अच्छी तरह जांच लेंगे किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत कॉलेज को इसकी सूचना देंगे, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद कॉलेज की कोई जवाबदेही नहीं होगी

11- ट्रांसपोर्ट सुविधा लेने वाले छात्र रास्ते में अनुशासन का पूरा ध्यान रखेंगे और गैर-अनुशासित छात्रों की ट्रांसपोर्ट सुविधा रद्द कर दी जायेगी

12- किसी भी मसले पर न्यायालय का कार्यक्षेत्र केवल पटना होगा

Declaration

मैं इस बात की घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी नियमों को मैंने भली-भाँति पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी नियमों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए नामांकन ले रहा / रही हूँ और अपने पाठ्यक्रम के दौरान इन नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता / करती हूँ.

तिथि :

छात्र / छात्रा का हस्ताक्षर